

५/१
१५-१-१६

१८-०१-१६

सं० ०४ /XXIV(1)/2016-15/2015न०स०

प्रेषक,

एस०राजू
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-१(बैसिक)

२०१६
३.१.१६

१८-१-१६
DE

देहरादून: दिनांक: १५ जनवरी, 2016

विषय: राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्रा०शि०-सेवा(2)/26937/आदर्श विद्यालय /2015-16 दिनांक ०१ जनवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में योजना पर प्रशासकीय एवं वित्तीय सहमति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु० 7.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

२— अवगत कराना है कि राजकीय विद्यालयों में छात्र संख्या में निरन्तर हो रहे छूट्स एवं विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता के गिरते स्तर तथा वर्तमान में संचालित विद्यालयों को भौतिक एवं शैक्षिक रूप से सुदृढ़ किये जाने, विद्यालय में आकर्षक, रूचिकर एवं गुणवत्तायुक्त शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खण्ड में दो राजकीय प्राथमिक एवं एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है।

३— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खण्ड में दो राजकीय प्राथमिक एवं एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

- (1) विकासखण्डवार मॉडल स्कूल का चयन विद्यालय की सेवित जनसंख्या दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय/क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार की जायेगा।
- (2) विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों, अभिकर्मियों को ही मॉडल स्कूल की गतिविधियों से जोड़ा जायेगा तथा अतिरिक्त तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविदा पर अभिकर्मियों की व्यवस्था की जायेगी।
- (3) इन चयनित विद्यालयों के विकास में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित होगी एवं विद्यालय के प्राधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- (4) उद्देश्य : आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित विद्यालयों को विकसित किये जाने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :-
- आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य आधारित शिक्षा।
 - विद्यार्थियों को, प्रतिभा के अनुरूप शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाना।
 - पाठ्यक्रम को रूचिकर बनाने हेतु तकनीकी का प्रयोग।
 - विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी किया कलापों को बढ़ावा देना।
 - विद्यालय को आकर्षक बनाने एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाना।
- (5) राज्य के 95 विकास खण्डों में प्रत्येक विकास खण्ड में 02 राजकीय प्राथमिक एवं 01 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चयनित कर कुल 285 (190 राजकीय प्राथमिक विद्यालय + 95 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- (6) आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय चयन के निम्न मानदण्ड अपनाये जायेंगे :-
- a. विद्यालय में भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य किये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
 - b. विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने की सम्भावनायें हो व विद्यालय अधिक से अधिक सेवित क्षेत्र को लाभान्वित करता हो।
 - c. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किये जाने हेतु विद्युत संयोजन उपलब्ध हो।
 - d. विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय आदि की सुविधायें उपलब्ध हों।
 - e. विद्यालय के निकट अथवा उसके परिसर में यथा सम्भव आगनबाड़ी केन्द्र संचालित होता हो।
- (ख) भौतिक संसाधन :-
- a. कक्ष कक्ष - 05 (न्यूनतम) (01 कक्ष प्रति कक्षा), 1-प्रधानाध्यापक कक्ष, 1-गतिविधि कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, रिसोर्स रूम, डायनिंग हॉल तथा इण्डोर खेलों के आदि हेतु सभागार/बहुउद्देशीय हॉल, छात्र संख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप मानकानुसार अतिरिक्त कक्ष-कक्षों की व्यवस्था की जायेगी।
 - b. शुद्ध पेयजल सुविधा सहित, शौचालय (न्यूनतम)- 04 (बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक), प्रार्थना सभा मंच, चहारदीवारी, विद्युत संयोजन, विद्यालय सौन्दर्योक्तरण एवं मनोरंजन पार्क।

c. कम्प्यूटर सहवर्ती उपकरण एवं कक्षाओं हेतु ऑडियो विजुअल सपोर्ट सिस्टम यथा K-YAN आदि।

d. विद्यार्थियों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर, डायनिंग एवं कम्प्यूटर कक्ष हेतु फर्नीचर तथा अन्य सामग्री, सफेद व ग्रीन बोर्ड एवं बोर्ड मार्कर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खेल एवं संगीत सामग्री/उपकरण।

e. विद्यार्थियों के स्तरानुरूप पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकें रखें जाने हेतु आलमारी, बुल सेल्फ आदि।

f. विज्ञान किट एवं गणित किट (संख्या विद्यालय की आवश्यकतानुसार)।

(4) विद्यालय संचालन की प्रक्रिया –

a. स्थापित आदर्श विद्यालय, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के शैक्षिक पंचांग के अनुसार संचालित होंगे।

b. यदि चयनित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के परिसर में आगनबाड़ी केन्द्र पूर्व से संचालित हो रहा हो तो, भविष्य में ऐसे विद्यालयों में 03 से 05 वर्ष के बच्चों हेतु प्री-प्राइमरी कक्षायें भी संचालित की जा सकेंगी। अभिभावक की इच्छानुसार प्री-प्राइमरी में पंजीकृत बच्चे विद्यालय बन्द होने से एक घण्टे पूर्व अपने अभिभावक के साथ अपने घर जा सकेंगे। प्री-प्राइमरी में पंजीकृत बच्चों को यथावत आंगनबाड़ी केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

c. आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जा रहे विद्यालय के निकटवर्ती, 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के छात्रों को आदर्श विद्यालय में पंजीकृत किया जा सकेगा एवं ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी आवश्यकतानुसार आदर्श विद्यालय अथवा जनपद के अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जायेगा।

d. कक्षा शिक्षण छात्र केन्द्रित, सहज एवं प्रभावपूर्ण रखने तथा विषयवस्तु को बोधगम्य एवं आकर्षक बनाने हेतु तकनीकी (कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, टैब आदि) के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

e. चयनित आदर्श विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यथा सम्बव गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जायेगा।

f. विद्यालय में पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

g. विद्यालय में विद्यार्थी के शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों पर आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समीक्षा प्रतिमाह अनिवार्यतः की जायेगी। विद्यार्थी के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की त्रैमासिक प्रगति से अभिभावक को अनिवार्यतः अवगत कराया जायेगा।

h. राज्य/मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरन्तर इन विद्यालयों का अनुश्रवण कर, विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा एवं शिक्षकों को अच्छे कार्य हेतु प्रेरित किया जायेगा।

i. माडल स्कूलों में निरन्तर अनुश्रवण तथा अकादमिक सहायता हेतु प्रारम्भिक स्तर की विद्यालयों के लिए उप शिक्षा अधिकारी खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्राऊष्ठ) तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्पूर्ण जनपद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक माडल स्कूलों के अनुश्रवण हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राऊष्ठ) तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्पूर्ण जनपद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक माडल स्कूलों के अनुश्रवण हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी होंगे। विकासखण्ड तथा जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा

मण्डल स्तर पर प्रत्येक तीन माह में समीक्षा की जायेगी एवं प्रगति से त्रैमासिक रूप से निदेशालय को अवगत करायेंगे। तदोपरान्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्रत्येक छः माह में समीक्षा की जायेगी और प्रगति से शासन को अवगत किया जायेगा। अनुश्रवण के आधार पर योग्य शिक्षकों/कार्मिकों व अधिकारियों को समय-समय पर पुरस्कृत भी किया जायेगा। ब्लाक मेण्टर भी हर 03 माह में मॉडल स्कूलों का भ्रमण करेंगे। विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु अनुश्रवण तथा प्रशिक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र, बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 की होगी। विद्यालयों के संसाधनों का अनुश्रवण के लिए पंचायती राज प्रतिनिधि, पी0टी0ए0, विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जा सकेगा।

- j. मॉडल स्कूलों में प्री-प्राथमिक कक्षाओं का भी संचालन किया जायेगा, जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, वहाँ पर इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को साथ-साथ एक समान रूप से संचालित किया जायेगा। इस हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग (आई0सी0डी0एस0) विभाग से पूर्ण समन्वय स्थापित किया जायेगा, किन्तु जिन विद्यालयों में विभाग से पूर्ण समन्वय किया जायेगा, किन्तु जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर पृथक से प्री-प्राइमरी कक्षाओं का भी संचालन किया जायेगा।
- k. सभी माडल स्कूलों में हिन्दी एवं अंग्रेजी (द्विभाषिक) दोनों माध्यमों से कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। एस0सी0ई0आर0टी0द्वारा पृथक से इन विद्यालयों हेतु पाठ्य पुस्तकें तैयार कर मुद्रण का कार्य कराया जायेगा।
- l. विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) आदि हेतु तैयार किया जायेगा।
- m. विद्यालय विकास हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में अभिभावकों से निरन्तर संवाद किया जायेगा।
- n. चयनित आदर्श विद्यालय में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में एक किलोमीटर से अधिक दूरी के गाँवों से आने की स्थिति में बच्चों को लाने व ले जाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुमन्यता के अनुरूप ड्रांस्पोर्ट अथवा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में तीन किलोमीटर से अधिक दूरी के गाँवों से आने की स्थिति में बच्चों को लाने व ले जाने हेतु ड्रांस्पोर्ट अथवा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जायेगी।
- o. शिक्षण का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी मिश्रित होगा, जिसे कालान्तर में अध्यापकों की दक्षतानुरूप पूर्णतः अंग्रेजी बनाये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- p. विद्यालय को भविष्य में डे-वोर्डिंग विद्यालय के रूप में एवं तदन्तर छात्रावासी रूप में विकसित किया जा सकेगा।
- q. शिक्षणेत्तर गतिविधि – प्रत्येक मॉडल स्कूल में छात्रों के मानसिक विकास सम्बन्धी कार्यों (शिक्षण) के अधिगम, शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के आयोजन पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। विद्यालय में खेलकूद, दौड़, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम व वर्ष भर में एक बार वार्षिकोत्सव भी आयोजित किया जायेगा।

r. खाता संचालन :- माडल स्कूल में धनराशि पृथक से एक राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर रखी जायेगी। उक्त बचत खाता का संचालन पूर्ण रूप से प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबन्धन कमेटी द्वारा किया जायेगा। विभिन्न मदों में धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार ही करना होगा।

(5) शिक्षकों एवं कार्मिकों का चयन :-


- a. प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मॉडल विद्यालय में अच्छे अकादमिक रिकार्ड वाले शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। विद्यालय में समस्त विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्यतः की जायेगी।
- b. प्रथमतः चयनित विद्यालय के शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- c. चयनित विद्यालय में निकटवर्ती 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों से समायोजित किया जायेगा।
- d. कम्प्यूटर में कार्य करने की योग्यता रखने वाले शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- e. हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से शिक्षण करने में सक्षम शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- f. जिन विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, उन पदों को गेस्ट टीचर से भरा जायेगा। गेस्ट टीचर की योग्यता सामान्य शिक्षक के समान ही होगी। जो शिक्षक अथवा गेस्ट टीचर गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने तथा छात्रों के अधिकाधिक नामांकन करवाने में असफल होंगे, उन्हें वर्ष में शैक्षिक मूल्यांकन के आधार पर हटा दिया जायेगा।
- g. विद्यालय में बहुउद्देशीय कार्मिक आउटसोर्सिंग से रखे जायेंगे, जो स्कूल अवधि में पूर्ण रूप से प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा सभी शिक्षण एवं शिक्षणेत्र क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करें। विद्यालय में सामुदायिक सहयोग से एक रात्रि चौकीदार की भी तैनाती की जायेगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा मानदेय भी प्रदान किया जायेगा। रात्रि चौकीदार की जिम्मेदारी विद्यालय सम्प्रति की रक्षा करना होगा। प्रधानाध्यापक, अध्यापकों तथा अन्य कार्मिकों को शिक्षा की गुणवत्ता व नामांकन वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास किया जायेगा।
- h. परिचारक सह माली एवं स्वच्छक सह चौकीदार का चयन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(6) फोर्टिफिकेशन आफ मिड-डे-मील :-

माडल स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के साथ ही साथ फल व विभिन्न उपयोगी औषधीयों का वितरण भी किया जाना होगा। इस हेतु विद्यालय स्तर पर पृथक से मिड-डे-मील के फोर्टिफिकेशन हेतु धनराशि का प्राविधान किया जायेगा। मॉडल स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा तथा अध्ययनरत बच्चों को आयरन, विटामिन्स, फौलिक एसिड आदि की गोलियां भी वितरित करवाई जायेंगी।

- (7) चयनित विद्यालयों के शिक्षकों के कौशल विकास हेतु योजना :-
- विद्यालय को आदर्श रूप प्रदान करने व आदर्श विद्यालय की आवधारणा की समझ हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को सत्र के प्रारम्भ में संवेदीकरण / अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा।
 - आदर्श विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन कर समय समय पर उनका क्षमता संवर्द्धन किया जायेगा एवं प्रशिक्षण में शिक्षक अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
 - कार्यरत शिक्षकों का आवश्यकतानुसार उच्च संस्थाओं यथा डायट एवं एस0सी0ई0आर0टी0 आदि से क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण करवाया जायेगा। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से समय-समय पर शासन को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।।

भवदीय,


(एस0राजू)


अपर मुख्य सचिव।
०/८

सं० (i)/XXIV(1)/2015-05/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, श्री राज्यापाल उत्तराखण्ड सरकार।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मा० मंत्री विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड सरकार।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- निजी सचिव अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-१/१०५ इन्द्रानगर, देहरादून।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, /जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०उत्तराखण्ड
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रंजना) १५०११६

अपर सचिव।

०/८